

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :- 2/अ०प्र०-1-258/2017 1265 /पटना, दिनांक :- 8.9.21

श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कार्य प्रमंडल, तेघड़ा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में एफडीआर के तहत कराये गये कार्यों की जाँच में पायी गयी अनियमितताएँ एवं सरकार को हुई वित्तीय क्षति के आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2813 दिनांक-04.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा दिनांक-31.07.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतएव श्री पासवान के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

1/1
8.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापक :- 2/अ०प्र०-1-258/2017 1266 /पटना, दिनांक :- 8.9.21

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता:- विसायटोला, पो0+थाना-नवगछिया, जिला-भागलपुर, पिन-853209 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/1
8.9.21

उप सचिव